(महत्वपूर्ण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /3/ प.क. /सेल–1/2016/1919 **भोपाल, दिनांक 27.12.2016**

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :– ए.एन.एम. एवं एल.एच.व्ही. की सेवा निवृत्ति के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण।

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत ए.एन.एम. एवं एल.एच.व्ही की सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु अलिपिकीय भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार 60 वर्ष निर्धारित है। शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रं. 15551/2016 दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरूद्ध शासन की ओर से अपील की कार्यवाही प्रचलित है। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन आदेश के अनुक्रम में दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत्त की गई ए.एन.एम. एवं एल.एच.व्ही. को अन्य आगामी आदेश तक पुनः कार्य पर उपस्थित न कराया जाये।

अतः निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अपर संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/3/ प.क./सेल–1/2016/1920 **भोपाल, दिनांक 27.12.2016**

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु।

अपर संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल दिनांक 30/08/2016

आदेश

क्रमांक 2061/3569/2016/17/मेडि-1:: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 18-17/2009/ 17/मेडि-1 दिनांक 31/10/2009 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष में वृद्धि कर 65 वर्ष किये जाने का निर्देश है। इसके अनुक्रम में संचालनालय के पत्र क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/2009/1167 दिनांक 26/11/2009 द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) पर भी शासन के उक्त आदेश के लागू होने का उल्लेख किया गया है, जो कि अलिपिकीय (Non-ministrial) सेवा भर्ती नियम के विरूद्ध है। दिनांक 20 अक्टूबर 1989 को जारी अलिपिकीय (Non-Ministrial) सेवा भर्ती नियम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) के पदों का उल्लेख है।

शासन के अलिपिकीय (Non-Ministrial) 1989 सेवा भर्ती नियम में कार्यरत संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। अतः संचालनालय के पत्र दिनांक 26/11/2009 को अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम के विरूद्ध होने के कारण निरस्त करते हुये स्पष्ट किया जाता हैं, कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) एवं महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एल.एच.व्ही.) की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष ही रहेगी। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 30/8/16
(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. 2062/3569/2016/17/मेडि-1 भोपाल दिनांक 30/8/2016

प्रतिलिपिः-

1. सचिव मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

निरंतर 2/-

3. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन।
10. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, लोक स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/चिकित्सा सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8/16

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग